प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण

स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु देष में एक सावर्जनिक आवास कार्यक्रम शुरू किया गया। वर्ष 1960 तक भारत के विभिन्न भागों में लगभग 5 लाख परिवारों को मकान उपलब्ध कराए गए। वर्ष 1957 में एक ग्रामीण आवास कार्यक्रम किया गया जिसके अन्तर्गत केवल 67000 आवास ही बनाए जा सके। चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–74) में आवासों के लिए जमीन सह निर्माण सहायता योजना शुरू की गयी। जून 1985 में आर0एल0ई0जी0पी0 उप–योजना के रूप में इन्दिरा आवास योजना शुरू की गयी जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के मकानों के निर्माण के लिए निधियों का निर्धारण किया गया। 01 जनवरी 1996 से इन्दिरा आवास योजना को एक स्वतन्त्र कार्यक्रम बना दिया गया जिसका उद्देष्य बी0पी0एल0 परिवारों की मकान सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करना था।

वर्ष 2022 तक ''सभी को मकान'' उपलब्ध कराने के लिए सरकार वचनबद्ध है। ग्रामीण आवास परिदृष्य में इस कमी को दूर करने तथा सरकार की इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए इन्दिरा आवास योजना को दिनांक 01 अप्रेल 2016 से प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण के रूप में पुनगर्ठित किया गया है।

योजना के अन्तर्गत सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण–षीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 'सब के लिए घर' के उद्देष्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2021–22 तक 2.95 करोड़ आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्य विषेषताएं–

1. वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक तीन वर्ष की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में 1.00 करोड़ आवास निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराना।
2. प्रति आवास भूमि हेतु क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर।
3. प्रति आवास लागत रू0 1.20 लाख।
4. शौचालय निर्माण हेतु प्रति आवास 12000 रू. की सहायता का प्राविधान।
5. सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आंकडों में दर्षाये गये मानदण्डों के आधार पर।

6. यदि लाभार्थी चाहे तो 70,000 रू. तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराना।
7. बुनियादी सुविधाओं अर्थात् शौचालय, पेयजल, बिजली, स्वच्छ व एफिसियेंट ईंधन, ठोस और तरल अपषिष्ट का शोधन इत्यादि की व्यवस्था के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल करना।

जनपद में कुल 962 लाभार्थी **म्ब्ब् सर्वे के अनुसार चिन्हित थे जिनका सत्यापन करने पर कोई भी लाभार्थी पात्र नहीं पाया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के निर्धारित लक्ष्य 509 का समर्पण कर दिया गया है जिसे शासन द्वारा संषोधित भी कर लिया गया है। विकास खण्डवार स्थिति निम्न प्रकार है–**

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	म्ब्ब् सर्वे के अनुसार चिन्हित लाभार्थी संख्या	विकास खण्डों द्वारा अपात्र किये गये लाभार्थियों की संख्या	पात्र लाभार्थियों की संख्या
1	बिसरख	54	54	0
2	दादरी	253	253	0
3	दनकौर	188	188	0
4	जेवर	467	467	0
योग		962	962	0

ज्ञातव्य है कि 01 अप्रेल 2016 से पूर्व जनपद में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
1	2012–13	545
2	2013–14	0
3	2014–15	14
4	2015–16	164

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत पूर्व में पात्र लाभार्थियों का संतृप्तीकरण किया जा चुका है।